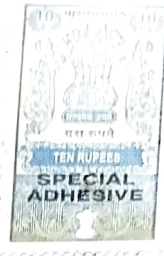


125
816
08.01.20



इकरारनामा

स्टाम्प 10/-रूपये

हम कि सुमित कुमार सपुत्र श्री राज कुमार निवासी ग्राम खानपुर तहसील इन्द्री जिला करनाल, आधार कार्ड न0 9406 8437 3804 व इशु सपुत्र श्री भीम सिंह निवासी ग्राम धुमसी तहसील इन्द्री जिला करनाल आधार नम्बर 7451 6490 4920 (किरायेदार) व गुरदेवी पत्नी श्री गजे सिंह निवासी ग्राम हैबतपुर तहसील इन्द्री जिला करनाल (मालिक दुकान) के हैं।

जो कि एक किता दुकान 10 फुट गुणा 30 फुट हदुद उत्तर में ग्रामीण बैंक, दक्षिण में दुकान अन्य, पूर्व में सडक, पश्चिम में गली वाका रकबा मौजा नजदीक हनुमान मन्दिर, इन्द्री रोड, लाडवा तहसील लाडवा जिला कुरुक्षेत्र ममलुका व मकबुजा द्वितीय पक्ष की मलकियती है। अब प्रथम पक्ष ने उपरोक्त दुकान को माए हक रास्ता आने जाने इत्यादि को बराएे अर्सा 11 माह दिनांक:-01-09-2023 ता दिनांक:-31-07-2024 तक बशरे किराया मु0:-5,700/-रूपये (पांच हजार सात सौ रूपये) प्रति माह के हिसाब से किराये पर लेने का इकरार व मुहायदा किया है व द्वितीय पक्ष ने किराये पर देने का इकरार व मुहायदा किया है। यह कि प्रथम पक्ष हर माह किराया एडवास अदा करने का पाबन्द होगा। यह कि उक्त दुकान **CSC Academy (Sumit Digital Center)** के कार्य के लिए किराये पर लिया है। प्रथम पक्ष दुकान की हालत को तबदील नही कर सकेगा व ना ही दुकान को आगे किसी को सबलैट कर सकेगा। रंग रोगन व सफाई की जिम्मेवारी प्रथम पक्ष किरायेदार की होगी। प्रथम पक्ष दुकान में कोई तोड फोड नही करेगा। यह कि उपरोक्त दुकान का बिजली बिल व पानी बिल प्रथम पक्ष का होगा।

बाकी पेज दो पर

सुमित कुमार व इशु प्रथम पक्ष

Sumit Kumar

गुरदेवी (मालिक दुकान) द्वितीय पक्ष



-2-

दुकान को जिस हालत में लिया है उसी हालत में वापिस करेगा। छत दुकान से प्रथम पक्ष का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। प्रथम पक्ष अवधि पूरी होने पर दुकान खाली करके द्वितीय पक्ष को देने का पाबन्द होगा या मालिक की मर्जी से दुकान की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी यदि मालिक अवधि समाप्त होने पर आगे किराया पर नहीं देता तो ओर प्रथम पक्ष अवधि समाप्त पर दुकान खाली नहीं करता या किराया समय पर नहीं अदा करता तो द्वितीय पक्ष दुकान पर अपना ताला लगाने और बिना किसी लीगल नोटीस के दुकान खाली करवाने का हकदार होगा। प्रथम पक्ष दुकान में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे द्वितीय पक्ष को कोई नुकसान हो। यह कि यदि द्वितीय पक्ष को दुकान की जरूरत होगी तो प्रथम पक्ष को एक महीने पहले बताकर या नोटिस देकर दुकान लेने का हकदार होगा। यह कि अगर प्रथम पक्ष दुकान को बीच में छोड़ता है तो एक माह पहले द्वितीय पक्ष को बताने का पाबन्द होगा। यह कि प्रथम पक्ष बिजली मीटर के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा अगर करता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी। लिहाजा यह इकरारनामा किरायानामा सुन व समझकर बिना किसी दबाव अथवा प्रभाव के लिखवा दिया गया है ताकि समय पडने पर काम आवे।

लिखित दिनांक:-02-09-2023

सुमित कुमार व इशु प्रथम पक्ष

Sumit Kumar

गुरदेवी (मालिक दुकान) द्वितीय पक्ष

ATTESTED
Gurdevi
DISTRICT NOTARY
KURUKSHETRA

नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री गजे सिंह
निवासी ग्राम हैबतपुर

साक्षी:---

Sudhinder S/o Om Parkash
V.P.O Khanpur

साक्षी:--- *Sudhinder*

FIXEDLINE AND BROADBAND SERVICES

Original Copy for Recipient provided by Bharti Airtel Limited- Tax Invoice



Billing Details

Sumit Kumar

-hinori Road,Hinori Road,Ladwa,Near Gramin

Bank,,Ladwa,Haryana,136132

Ladwa Haryana 136132

Email ID sumitdigitalcenter@gmail.com

Alternate Mobile Number 9050099625

Xstream Fibre ID 0174416105161_wifi

Landline No 01744458369



Bill NO HT2406I003081788

Bill Period 02 Sep 2023 to 01 Oct 2023

Bill Date 03 Oct 2023

Ship to State Code 06

Place of Supply Haryana

Opening Balance (A) ₹0.00

Recharges

Description	Date	Amount Paid
Bill Payment-Advance Rental_Razorpay	05 Sep 2023	-3004.00

Total Recharges (B) ₹-3004.00

Total Adjustments (C) ₹0.00

Total Balance (A + B + C) ₹-3004.00

Bill Plan Value

Account	Description	Duration/ Date	Rental Charges	Net charges	Total(₹)
0174416105161_wifi	Scheme Charges @ ₹ 499	05 Sep 2023 - 01 Oct 2023	499.00	381.73	381.73

Tax Details

HSN	Taxable Value	CGST		SGST/UTGST		Total Tax	Total(₹)
		Rate	Amount	Rate	Amount		
998412	381.73	9%	34.36	9%	34.36	68.72	68.72

Charges For This Month Incl. Tax (D) ₹450.45

Closing Balance (A + B + C + D) ₹-2553.55